


19.8.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 के वकील उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का सम्मन तलबाना पेश करने हेतु एक ओर अवसर चाहे रहें है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का सम्मन तलबाना पेश किये जाने के प्राप्त अवसर दिये जानें के उपरांत भी आदिनांक तक वकील वादी द्वारा सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है, इससे प्रतीत होता है। कि वकील वादी वाद को अनावश्यक लम्बित करना चाहतें है और न्यायालय आदेश की पालना भी नहीं कर रहे है। इसी सूरत में वकील वादी को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर


सहायक क्लर्क
(SDO) सिवाना

